कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
क.रा.बी.नि.
ESIC

सत्यमेव जयते

पंचदीप भवन, नेहरू मार्ग, पटना-800001
PANCHDEEP BHAWAN, NEHRU MARG, PATNA-01
फोन : (0612) 2521928; ईमेल : rd-bihar@esic.gov.in
वेबसाइट : www.esic.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, **1948** के प्रावधान बिहार के **6** अन्य जिलों के सम्पूर्ण क्षेत्र में लागू ।

भारत का राजपत्र में प्रकाशित गजट अधिसूचना संख्या- CG-DL-E-01052025-262790 दिनांक- 30.04.2025 के द्वारा केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 01 मई 2025 से बिहार के 6 अन्य जिलों यथा अररिया, सहरसा, औरंगाबाद, बांका, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिले के सभी क्षेत्रों में अधिनियम के उपबंध लागू कर दिए गए हैं ।

विदित हो कि बिहार में 38 में से कुल 33 जिलों के सम्पूर्ण क्षेत्रों में अवस्थित सभी संस्थान जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हों, वैसे सभी संस्थानों पर अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के प्रावधान लागू हो गए हैं जबकि शेष 5 जिलों में नगरपालिका सीमा के अंतर्गत आने वाले संस्थानों पर लागू रहेंगे । उक्त 6 जिलों में कार्यरत सभी संस्थानों को दिनांक 01 मई 2025 के प्रभाव से अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत अनुपालन की सलाह दी जाती है ।

(क्षेत्रीय निदेशक,बिहार)